संख्या-19/2024/001-2708697(1)/12-2099/162/2023

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या-81 की लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 796-जनजाति क्षेत्र उप योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, 0117-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्स्टेंशन एण्डं टेक्नोलाजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि.-13-101/1865/एस.एम.ए.एम.-टी0एस0पी0-के0/लेखा/2023-24, दिनॉक 07 फरवरी, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0105-नेशनल प्रोटेक्ट आन स्वायल हेल्थ फर्टिलिटी के मानक मद-27-सब्सिडी में रूपये 15.27 लाख, मानक मद 42-अन्य व्यय में रूपये 11.58 लाख एवं 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रूपये 10.05 अर्थात कुल धनराशि रूपये 36.90 लाख की उपलब्ध बचत से अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0117-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के मानक मद-27-सब्सिडी में केन्द्रांश रू0 33.00 लाख (रूपये तैतीस लाख मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.01.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।
7. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

10. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त स्वीकृत धनराशि वित्त (आय व्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कोषागार से आहरित कर योजना के एस.एन.ए. एकाउन्ट में रखे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

13. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त (आय व्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,00,000 (रुपये तैंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 081 **लेखा शीर्षक** 2401007960117 सब मिशन आफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (के.60/रा.40-के.) **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-19/2024/001-2708697(2)/12-2099/162/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-2708697 2024 12-2099 162 2023

विषय:-केन्द्र पुरोनिधानित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2401 फसल कृषि कर्म 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 केन्द्र प्रयोजित योजनाएं 0117 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से केन्द्रांश रु 33.00 लाख के वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
081	2402007960105 (नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ फर्टिलिटी (के.60/रा.40-के.))	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	16,80,000 रुपये सोलह लाख अस्सी हजार मात्र	10,05,000 रुपये दस लाख पांच हजार मात्र	-6,15,000 रुपये छह लाख पंद्रह हजार मात्र	10,65,000	2023-2024
081	2402007960105 (नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ फर्टिलिटी (के.60/रा.40-के.))	27 (सब्सिडी)	15,27,000 रुपये पंद्रह लाख सताईस हजार मात्र	15,27,000 रुपये पंद्रह लाख सताईस हजार मात्र	-15,27,000 रुपये पंद्रह लाख सताईस हजार मात्र	0	2023-2024
081	2402007960105 (नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ फर्टिलिटी (के.60/रा.40-के.))	42 (अन्य व्यय)	13,80,000 रुपये तेरह लाख अस्सी हजार मात्र	11,58,000 रुपये ग्यारह लाख अट्ठावन हजार मात्र	-11,58,000 रुपये ग्यारह लाख अट्ठावन हजार मात्र	2,22,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
081	2401007960117 (सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के60-रा40)	27 (सब्सिडी)	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	33,00,000 रुपये तैंतीस लाख मात्र	41,00,000	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

(अ)-योजना में माँग न होने के कारण बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(अ)-भारत सरकार द्वारा एस0एम0ए0एम0 योजनान्तर्गत टी0एस0पी0 श्रेणी में केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने के फलस्वरूप नवसृजित लेखाशीर्षक में केन्द्रांश का प्रावधान कराये जाने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-477 दि0 19-02-2024

संख्या: आर ई-< >-2023-24, दिनांक- फरवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 19-02-2024 18:02:06
Reason: Approved
(रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।

संख्या: 2708697 2024 12-2099 162 2023 दिनांक- फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

19/2/2024
Gunjan Dubey
19-2-2024

आज्ञा से

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।